

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2018 एफ एस एस ए एक्ट

- सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन मीना विक्रेता एवं मालिक मैसर्स:- ब्रजवासी डेयरी गुढा रोड, बांदीकुई दौसा। निवासी कोर्ट के पीछे, बांदीकुई।

— अभियुक्तग—

जूम अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं० 1 उपस्थित।

—: आदेश :-

दिनांक 14.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 14.10.2017 को दोपहर बाद 1:10 बजे मैसर्स-ब्रजवासी डेयरी गुढा रोड, बांदीकुई दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन मीना उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ का लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 9 टिन X 15 किग्रा घी (ब्रजवासी) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से एक पीपे में से 800 ग्राम घी (ब्रजवासी) नमूने की जाँच हेतु हिलामिलाकर एक साफ सूखे स्टील के जग में खरीदा। जिसकी कीमत 312 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम एगमार्क घी (ब्रजवासी) को चार बोतलों में बराबर-बराबर डालकर एयरटाईट ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा घी (ब्रजवासी) की बोतलों पर गोंद से चिपकाकर अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोड़कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्रकरण संख्या : 12/2018 एफ एस एस ए एक्ट

पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी-1782 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.10.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्रजवासी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं 0 एल.एस./2520/एक्ट/2017/2592 दिनांक 15.11.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्रजवासी) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के यहां से पूर्व में लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये है एवं प्रथम बार खाद्य पदार्थ घी (ब्रजवासी) अमानक होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्रजवासी) अन्य फर्म से ही क्रय करके ही पैक किया जाता है। स्वयं के द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी पर कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं 0 एल.एस./2520/एक्ट/2017/2592 दिनांक 15.11.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्रजवासी) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।



न्याय निष्पन्न अधिकारी एवं
अति 0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्रकरण संख्या : 12/2018 एफ एस एस ए एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन मीना विक्रेता एवं मालिक मैसर्स:- ब्रजवासी डेयरी गुढा रोड, बांदीकुई दौसा पर 8000/- (अक्षरे आठ हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 14.3.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे। निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया



गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 14.3.2018

कमांक / 8653-8655

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को भेजकर लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय-समय पर खाद्य पदार्थों की जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन मीना विक्रेता एवं मालिक मैसर्स:- ब्रजवासी डेयरी गुढा रोड, बांदीकुई दौसा। निवासी कोर्ट के पीछे, बांदीकुई।



(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा